न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल बनाम राजेन्द्र

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 एलआर एक्ट

25/2/2019

प्रकरण संख्या :- RA/55/19 निर्णय दिनांक :- [illegible]

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेरलीरेल की आ.ख.न. 1246 कुल रकबा 0.83 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता में से 20 वर्गफिट 0.01 रकबे पर श्री राजेन्द्र S/O रामसहाय पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ओटा/कमरा निर्माण कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनांक 16/8/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजेन्द्र पु0 रामसहाय जाति मीणा निवासी ताहलावता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी राजेन्द्र उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1246 रकबा 0.83 में से 20 वर्गफिट रकबे किस्म गै0मु0 रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 Paise का 50 गुणा 5/- (पाँच) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरलीरेल भू.अ.निरी. खेरलीरेल को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. इ.